ACTION TAKEN REPORT IN COMPLIANCE TO ORDER DATED 02.08.2021 IN OA 80/2020 (CZ)

Nagrik Upbhokta Margdarshan Manch

VS

State Of M.P and Ors

DATE OF INSPECTION - 05.08.2021

Action Taken Report in compliance of order dated 02/08/2021 issued by Hon,ble National Green Tribunal in the matter of O.A No. 80/2020 C.Z Nagrik Upbhokta Margdarshak Manch & Anr Vs State of M.P. & others :-

Hon,ble National Green Tribunal issued the following direction on order dated 02/08/2021 in the matter of O.A No. 80/2020 C.Z Nagrik Upbhokta Margdarshak Manch & Anr Vs State of M.P. & others

1- *The issue of illegal construction of Gaushala in Ward no. 79, Jabalpur (M.P.) by the Municipal Corporation, Jabalpur and non-compliance of the guidelines issued by the Central Pollution Control Board has been raised in this application. A report was called by the Madhya Pradesh Pollution Control Board and the Madhya Pradesh Pollution Control Board (R-7) had submitted a reply that Municipal Corporation, Jabalpur has failed to obtain the Consent to Establish from Madhya Pradesh Pollution Control Board before starting the construction activities, as required under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 and a notice was issued to the Commissioner, Municipal Corporation, Jabalpur on 31st August, 2020, but, the same has not been complied and no reply has been furnished.*
2- *Issue notice to the Commissioner, Municipal Corporation, Jabalpur to reply within fortnight. I. A No. 92 of 2020 and I.A. No. 48 of 2021 have been filed by the applicant with the prayer that the polluter/Commissioner, Municipal Corporation, Jabalpur will be directed to comply the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 and also to follow the guidelines issued by the Central Pollution Control Board*
3- *State Pollution Control Board is directed to take necessary action according to law in case of violation of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 and non-compliance of guidelines issued by the Central Pollution Control Board.*

Action taken by the Board:-

- The Municipal Corporation Jabalpur has constructed Kanji House to keep the street animal. The Kanji house is located at Village-Umariya Ward No. 79 Jabalpur District-Jabalpur.
- The Board has inspected the constructed site on dated 27/08/2020 and issue the notice vide letter no. 1128 dated 31/08/2020 to Commissioner Municipal Corporation Jabalpur for compliance of guidelines issued by CPCB. Letter is Enclosed with **Annexure-I**

- The Board has again inspected the constructed site on dated 12/01/2021 and issue the notice vide letter no. 2322 dated 13/01/2021 to Commissioner Municipal Corporation Jabalpur for obtain the Consent from the Board and ensure of compliances. Letter is Enclosed with **Annexure-II**
- The Municipal Corporation Jabalpur has informed that the no Gaushalas & dairy is being constructed, as per information given by JMC they are constructed the Kanji House to keep the street animals as per the provisions of Nagar Nigam Adhiniyam 1956.
- As per direction given by Hon'ble NGT order dated 02/08/2021 Board has again inspected the site on dated 05/08/2021 during the inspection it is found that JMC has constructed the Kanji House area 17X29 Meter and approx 130 street animals are found in Kanji house. Inspection Report on dated 05/08/2021 is enclosed with **Annexure-III**.
- Board has issue notice to Commissioner Municipal Corporation Jabalpur for obtain the Consent and Water (Prevention and Control of Pollution) Act 1974 and Air (Prevention and Control of Pollution) Act 1981. Letter is enclosed with **Annexure-IV**. Reply received from JMC is also enclosed with the **Annexure-V & VI.** It is also stated that the JMC has proposed the Compost pit for treatment of cow dung which will be use a manure and effluent generated from the Kanji house will be collected and treated and it will utilize in the surrounding land. The JMC has sufficient land (26.79 Hect) for disposal of treated effluent in near Kanji house.
- The Kanji house is situated about 200 meter away from the residential area/ hospital/ Educational institution and 500 meter away from the water bodies. As per revised siting policy of "Guidelines for Environmental Management of Dairy Farms and Gaushalas" July 2021 issued by the CPCB. As per revised guidelines the site is suitable as per siting policy
- The JMC has applied for Consent to Establishment under Water (Prevention and Control of Pollution) Act 1974 and Air (Prevention and Control of Pollution) Act 1981 for Kanji house. Board has again inspected the Site on dated 17/08/2021 and granted Consent to Establishment (CTE Fresh) on dated 23/08/2021.

(Alok Kumar Jain)
Regional Officer
M.P. Pollution Control
Board Jabalpur

सलंग्नक।

क्षेत्रीय कार्यालय,
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रणं बोर्ड,

स्कीम नं0 5,प्लाट नं.455/456, विजयनगर, जबलपुर–482002
Phone & Fex-0761-4042780 E-Mail romppcbjbp@rediffmail.com

क्रमांक/ 1128 /क्षे.का/प्रनिबो/2020, जबलपुर,दिनांक– 31/08/2020

प्रति

आयुक्त,
नगर पालिक निगम,
जबलपुर (म0प्र0)

विषय – कुण्डम मार्ग पर अमझर घाटी के पहले उमरिया ग्राम में बोर्ड की सम्मति बिना गौशाला का निर्माण करने के कारण, कारण बताओ सूचना पत्र।

संदर्भ :– 1–माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 20/05/2010
2–केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट ऑफ डेयरी फार्म एवं गौशाला हेतु जारी गाईडलाईन जुलाई 2020

––00––

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है, कि कुण्डम मार्ग पर अमझर घाटी के पहले उमरिया ग्राम जो कि नगर पालिक निगम जबलपुर की सीमा में आता है। उक्त क्षेत्र में गौशाला का निर्माण किया जा रहा है। जिसका स्थल निरीक्षण दिनांक 27/08/2020 इस कार्यालय के बैज्ञानिक डॉ अजय राय द्वारा किया गया। डेयरी फार्म एवं गौशाला हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा इन्वायरमें[illegible] और डेयरी फार्म एवं गौशाला हेतु निम्नलिखित बिन्दुओ पर गाईडलाईन जारी की गई है जिसके अनुसार :–

1 यह कि डेयरी फार्म एवं गौशालाएं शहर/गॉव की सीमाओं के बाहर स्थित होनी चाहिये तथा आवासीय आवासों से 200 मीटर दूर और अस्पतालों और स्कूलो से 500 मीटर की दूरी पर डेयरी फार्म एवं गौशालायें बाढ़ में स्थित नही होनी चाहिये।

2. यह कि प्रवण क्षेत्रों, जल निकायों के संदूषण से बचने के लिये 1 से 25 वर्ष या अधिक लगातार स्तरो पर बाढ़ के अधीन।

3. यह कि भूजल संदूषण से बचने के लिये लगभग 10 से 12 फीट और विशेष रूप से जलोढ़ क्षेत्रो में उथले भूजल की गहराई वाले क्षेत्रो में डेयरी फार्म और गौशालाएं नहीं होनी चाहिये।

4. यह कि डेयरी फार्म और गौशालाओं को नीचे दी गई न्यूनतम दूरी के मापदण्ड का पालन करने की अनुमति दी जा सकती है, जो स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार भिन्न हो सकते है।

5 राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गः मवेशियों के कारण होने वाले यातायात उपद्रव और सड़क दुर्घटना से बचने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग से 200 मीटर और राज्य राजमार्ग से 100 मीटर की दूरी पर होना चाहिए।

6. डेयरी फार्मो और गौशालाओं से लीकेज/स्पिलज के कारण जल संदूषण से बचने के लिये कैचमेंट साईड पर 500 पेयजल भंडार की दूरी होना चाहिए।
7. कुओं, गर्मियों के भण्डारण, टेंकों, अन्य टेंकों (पीने का पानी) जैसे पानी के स्त्रोत। पानी के प्रदूषण से बचने के लिये 100 मीटर की दूरी होना चाहिये।
8. नदी और झील जैसे प्रमुख जल स्त्रोंत : पानी के प्रदूषण से बचने के लिये 500 मीटर की दूरी होना चाहिये।
9. नहर से पानी के प्रदूषण से बचने के लिये 200 मीटर की दूरी निहित है।
10. दो प्रतिष्ठानों के बीच अंतर से दूरी वेंटिलेशन के लिये कम से कम 5 मीटर होनी चाहिये। प्रत्येक इकाई को प्रत्येक तरफ में कम से कम 5 मीटर होनी चाहिये। प्रत्येक इकाई को प्रत्येक तरफ से कम से कम 2.5 मीटर प्रदान करना चाहिये एवं ग्रीन बेल्ट विकसित करना चाहिये।

उपरोक्तानुसार गाईडलाईन के अनुसार, आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त गौशाला के निर्माण कार्य को तुरन्त रोका जावे तथा उक्त कार्य को करने से पूर्व म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमानुसार सम्मति एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाईडलाईन के अनुसार ही डेयरी/गौशाला का निर्माण कार्य किया जावे। अन्यथा उक्त नियमो/अधिनियमों का उल्लंघन माना जावेगा। कृपया सूचनार्थ प्रेषित हैं

(डा0 पुष्पेन्द्र सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी
म0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
जबलपुर (म0प्र0)

क्षेत्रीय कार्यालय,
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
स्कीम नं0 5,प्लाट नं.455 / 456, विजयनगर, जबलपुर-482002
Phone & Fex-0761-4042780 E-Mail romppcbjbp@rediffmail.com

क्रमांक / 2322 / क्षे.का / प्रनिबो / 2021, जबलपुर,दिनांक 13/1/21

प्रति,

आयुक्त,
नगर पालिक निगम,
जबलपुर (म0प्र0)

विषय – कुण्डम मार्ग पर अमझर घाटी के पहले उमरिया ग्राम में बोर्ड की सम्मति बिना गौशाला का निर्माण करने के कारण, कारण बताओ सूचना पत्र।

संदर्भ –
1. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित ओदश दिनांक 20.05.2010
2. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट ऑफ डेयरी फार्म एवं गौशाला हेतु जारी गाईड लाईन जुलाई 2020
3. इस कार्यालय का पत्र कमांक 1128 दिनांक 31.08.2020

--00--

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है, कि कुण्डम मार्ग पर अमझर घाटी के पहले उमरिया ग्राम जो कि नगर पालिक निगम जबलपुर की सीमा में आता है, उक्त क्षेत्र में गौशाला का निर्माण किया जा रहा है। जिसका स्थल निरीक्षण दिनांक 12.01.2021 को इस कार्यालय के अधिकारियों द्वारा किया गया डेयरी फार्म एवं गौशाला हेतु निम्नलिखित बिन्दुओं पर गाईड लाईन जारी की गई है। जिसके अनुसार

1. यह कि डेयरी फार्म एवं गौशालाएं शहर / गांव की सीमाओं के बाहर स्थित होनी चाहिये तथा आवासीय आवासों से 200 मीटर दूर और अस्पतालों और स्कूलों से 500 मीटर की दूरी पर डेयरी फार्म एवं गौशालाऐं बाढ़ में स्थित होनी चाहिये ।
2. यह कि, प्रवण क्षेत्रों जल निकायों के संदूषण से बचने के लिये 1 से 25 वर्ष या अधिक लगातार स्तरों पर बाढ़ के आधीन ।
3. यह कि, भूजल संदूषण से बचने के लिये लगभग 10 से 12 फीट और विशेष रूप से जलोढ़ क्षेत्रों में उथले भूजल की गहराई वाले क्षेत्रों में डेयरी फार्म और गौशालाऐं नहीं होनी चाहिये।
4. यह कि डेयरी फार्म और गौशालाओं को नीचे दी गई न्यूनतम दूरी के मापदण्ड का पालन करने की अनुमति दी जा सकती है, जो स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं।

5. राष्ट्रीय और राज्य मार्ग मवेशियों के कारण होने वाले गंध उपद्रव और सड़क दुर्घटना से बचने के लिये राष्ट्रीय राज़्यमार्ग से 200 मीटर और राज्य राजमार्ग से 100 मीटर की दूरी पर होनो चाहिए ।

6. डेयरी फार्मो और गौशालाओं से लीकेज/स्पिलज के कारण जल संदूषण से बचने के लिये केचमेंट साईड पर 500 मीटर पेयजल भण्डारण की दूरी होना चाहिए।

7. कुओं गर्मियों के भण्डारण, टैंकों अन्य टेंकों (पीने का पानी) जैसे स्त्रोतः पानी के प्रदूषण से बचने के लिये 100 मीटर की दूरी होना चाहिये।

8. नदी और झील जैसे प्रमुख जल स्त्रोत : पानी के प्रदूषण से बचने के लिये 500 मीटर की दूरी होना चाहिये।

9. नहर से पानी के प्रदूषण से बचने के लिये 200 मीटर की दूरी निहित है।

10. दो प्रतिष्ठानों के बीच के अंतर से दूरी वेंटिलेशन के लिये कम से कम 5 मीटर होनी चाहिये। प्रत्येक इकाई को प्रत्येक तरफ में कम से कम 5 मीटर होनी चाहिये । प्रत्येक इकाई को प्रत्येक तरफ से कम से कम 2.5 मीटर प्रदान करना चाहिये एवं ग्रीन बेल्ट विकसित करना चाहिये।

उपरोक्तानुसार गाईडलाईन के अनुसार आपसे पुनः अनुरोध है कि उपरोक्त गौशालाओं के निर्माण कार्य को आपके द्वारा बंद नहीं किया गया । अतः निर्माण कार्य को तुरत बंद किया जावे। तथा उक्त कार्य को करने से पूर्व म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बोर्ड से नियमानुसार सम्मति एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियुत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाईडलाईन के अनुसार ही डेयरी/गौशाला का निर्माण कार्य किया जावे। अन्यथा एक्त नियमों /अधिनियमों का उल्लंघन माना जावेगा। कृपया सूचनार्थ प्रेषित है।

(आलोक कुमार जैन)
क्षेत्रीय अधिकारी
म0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
जबलपुर (म0प्र0)

निरीक्षण प्रतिवेदन

दिनांक 05.08.2021 को माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, भोपाल बेंच में प्रचलित प्रकरण कमांक 80/2020 के संबंध में वार्ड 79 उमरीया नगर निगम जबलपुर द्वारा गौशाला जो कि वर्तमान में कांजी हाउस संचालित किया जा रहा है। कांजी हाउस का निरीक्षण अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा श्री लल्ला पटेल उपयंत्री नगर निगम जबलपुर की उपस्थिति में किया गया है बिन्दुवार जानकारी निम्नानुसार है:-

1. यह कि संचालित कांजी हाउस जिसमें 17 मीटर X 29 मीटर का काऊ-शेड का निर्माण किया गया है। जो कि दिनांक 23.01.2021 से संचालित है। निरीक्षण दौरान करीबन 130 आवारा पशुओं को काऊ-शेड रखा गया है। इससे संलग्न नगर निगम जबलपुर के पास खसरा क. 1987/3 रकवा 10.79 हेक्टेयर एवं खसरा क. 134 का रकवा 16.0 हेक्टेयर इस प्रकार कुल 26.79 हेक्टेयर भूमि है।
2. यह कि आवारा पशुओं के मालिक यदि अपने पशु लेने आते हैं तो उन्हें निर्धारित शुल्क जमा करने के उपरांत पशु मालिक पशु को वापस दिया जाता है।
3. यह कि, भूसा रखने हेतु 20 मीटर X 30 मीटर के शेड का निर्माण किया गया है। जिसमें पशु के आहार हेतु भूसा भण्डारित रखा जाता है।
4. यह कि निरीक्षण दौरान पशुओं से निकलने वाले गोबर के उपचार हेतु कोई व्यवस्था नहीं की गई है । वर्तमान में गोबर को परिसर में कच्चे स्थान पर खुले में भण्डारित किया जाता है, एवं इससे खाद बनाया जाता है, जिसका उपयोग स्वंय की खेती एवं बागीचे में किया जाता है।
5. यह कि पशुओं के तरल अपशिष्ट मूत्र इत्यादि के उपचार हेतु कोई व्यवस्था नहीं की गई है, पशुओं से निकलने वाले मूत्र इत्यादि कच्ची नालियों के माध्यम से स्वंय के परिसर में खेती में उपयोग किया जाता है। निकलने वाले दूषित जल की मात्रा कांजी हाउस में रखे गये पशुओं पर निर्भर रहती है।
6. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नई दिल्ली द्वारा जुलाई 2020 में डेयरी एवं गौशाला हेतु गाईड लाईन एवं संशोधित गाईड लाईन 2021 जारी की गई है। नगर निगम प्रतिनिधि द्वारा बताया गया है कांजी हाउस का निर्माण किया गया एवं आवारा पशुओं को अस्थाई रूप से रखा जाता है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाईडलाईन के सिर्फ डेयरी तथा गौशाला को सम्मति लेने का उल्लेख है। अतः कांजी हाउस के संचालन हेतु बोर्ड से नियमानुसार सम्मति प्राप्त करना आवश्यक है ।

अनुसंशाः-

1. नगर निगम गोबर से खाद बनाने हेतु कम्पोस्ट पिट का निर्माण करे।
2. परिसर से निकलने वाले मूत्र एवं दूषित जल को एकत्रित कर उपचार उपरांत, स्वंय की भूमि में उपयोग करें, निगम के पास पर्याप्त भूमि उपलब्ध है।

प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

(टी.एस. बनर्जी)
वैज्ञानिक
म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
जबलपुर

(संजय वर्मा)
सहायक यंत्री
म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
जबलपुर

पंचनामा

आज दिनांक 5/08/2024 को वार्ड नं 79, उमरिया कांजी हाउस का निरीक्षण न.नि. उपयंत्री ललला पटेल की उपस्थिति में किया गया, निरीक्षण दौरान कांजी हाउस में 17 x 29 (मीटर) का गौशेड का निर्माण पाया गया, वर्तमान में कांजी हाउस में लगभग 130 आवारा पशुओं शहर में विचरण करते थे उन्हे पकड़कर कांजी हाउस में रखा गया यदि पशुमालिक अपना पशु वापस लेने आता है तो निर्धारित शुल्क जमा कराकर नियमानुसार वापिस कर दिया जाता है। पशु आहार (भूसा इत्यादि) के भण्डारण हेतु 20 x 50 का कच्चा शेड बनाया गया है। वर्तमान में पशुओं द्वारा गोबर उत्पन्न होता है उन्हे खुले में एकत्रित किया जाता है जिसे खाद बनाकर निगम के उद्यानों में उपयोग किया जायेगा, पशुओं द्वारा निकलने वाले मूत्र की व्यवस्था नालियों के माध्यम से कच्चे में बाहर विसर्जित पाया गया जो कि नगर निगम सुनिश्चित है। वर्तमान में ई.टी.पी. एवं गोबर के स्टोरेज हेतु पक्के पिट की व्यवस्था नहीं की गई है। कांजी हाउस का संचालन 23.01.2021 से प्रारंभ किया गया है।

(1) श्री ललला पटेल 'उपयंत्री' न.नि. पिता श्री स्व काशीराम पटेल [signature] 5/8/24
9826503589

(2) श्री पवन सिंह पटेल पिता श्री प्रेम सिंह पटेल (निगरा) [signature]
9424503281

(3) श्री साहिल यादव, पिता श्री राकेश यादव [signature: साहिल यादव]
8085584711

(4) श्री राहुल गौतम पिता श्री विजय कुमार गौतम [signature: राहुल गौतम]
7648964188

[signature] 5.8.2024
(संजय वर्मा)
सहायक यंत्री
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
जबलपुर

[signature] 5/8/202
(डी एन बर्मन)
वैज्ञानिक
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
जबलपुर

संलग्न 3

Ward No. 79 Jabalpur Nagar Nigam, Umariya Kanjhi House Insepection on date 05/08/2021

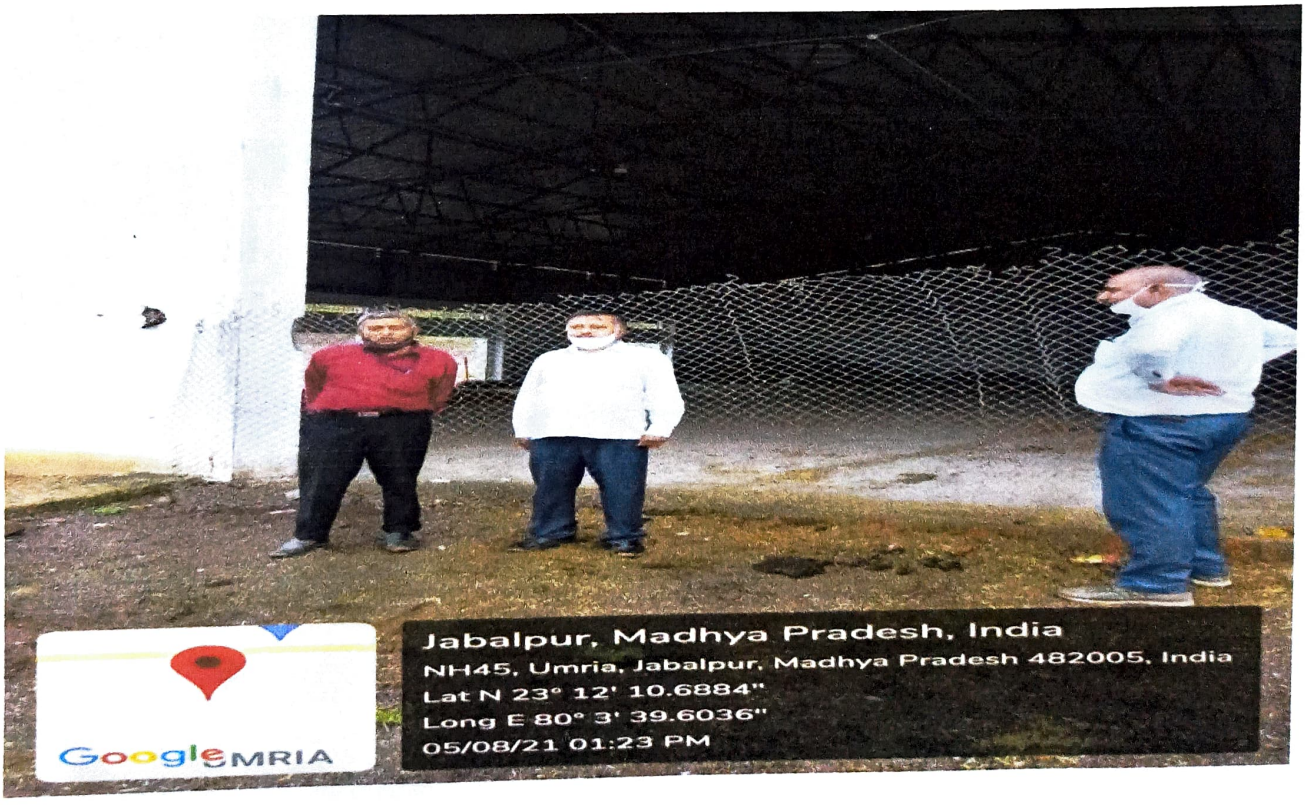

Ward No. 79 Jabalpur Nagar Nigam, Umariya Kanjhi House Insepection on date 05/08/2021

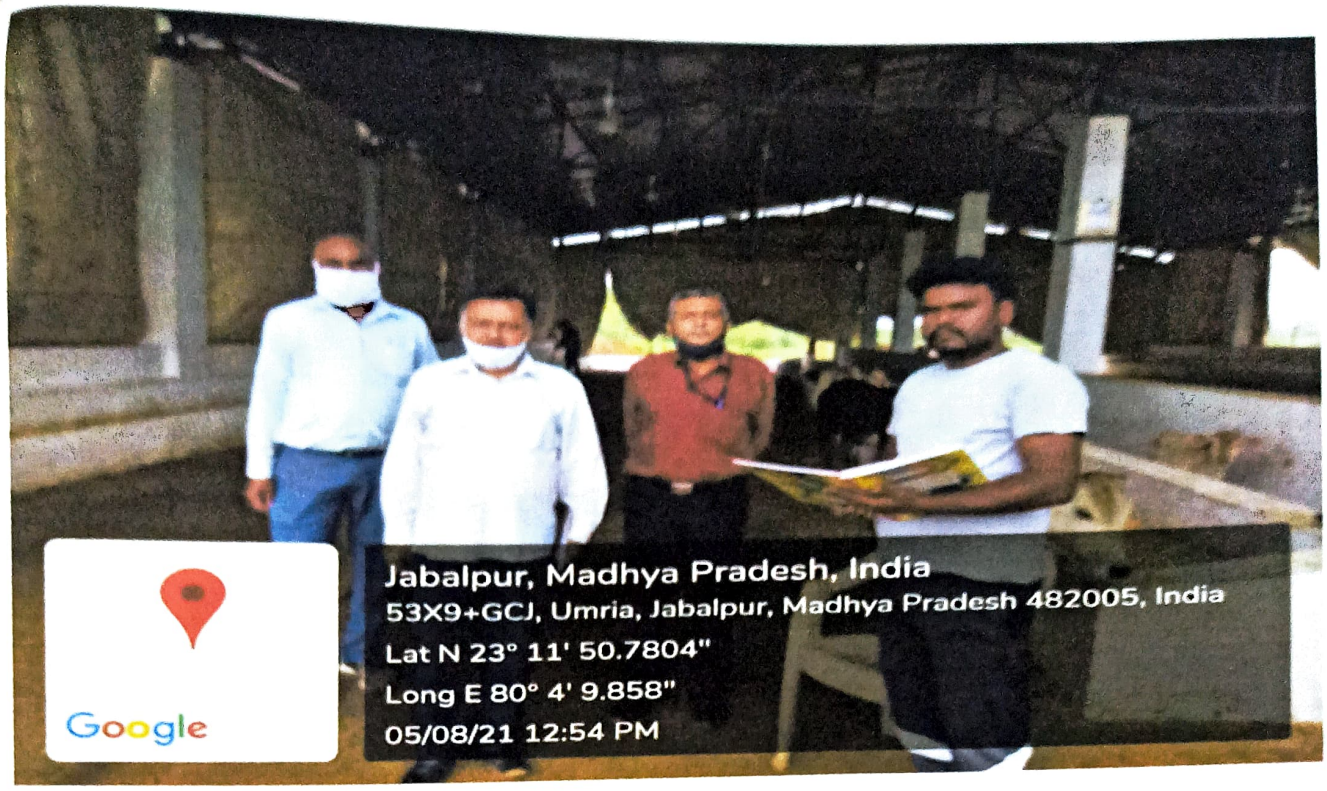

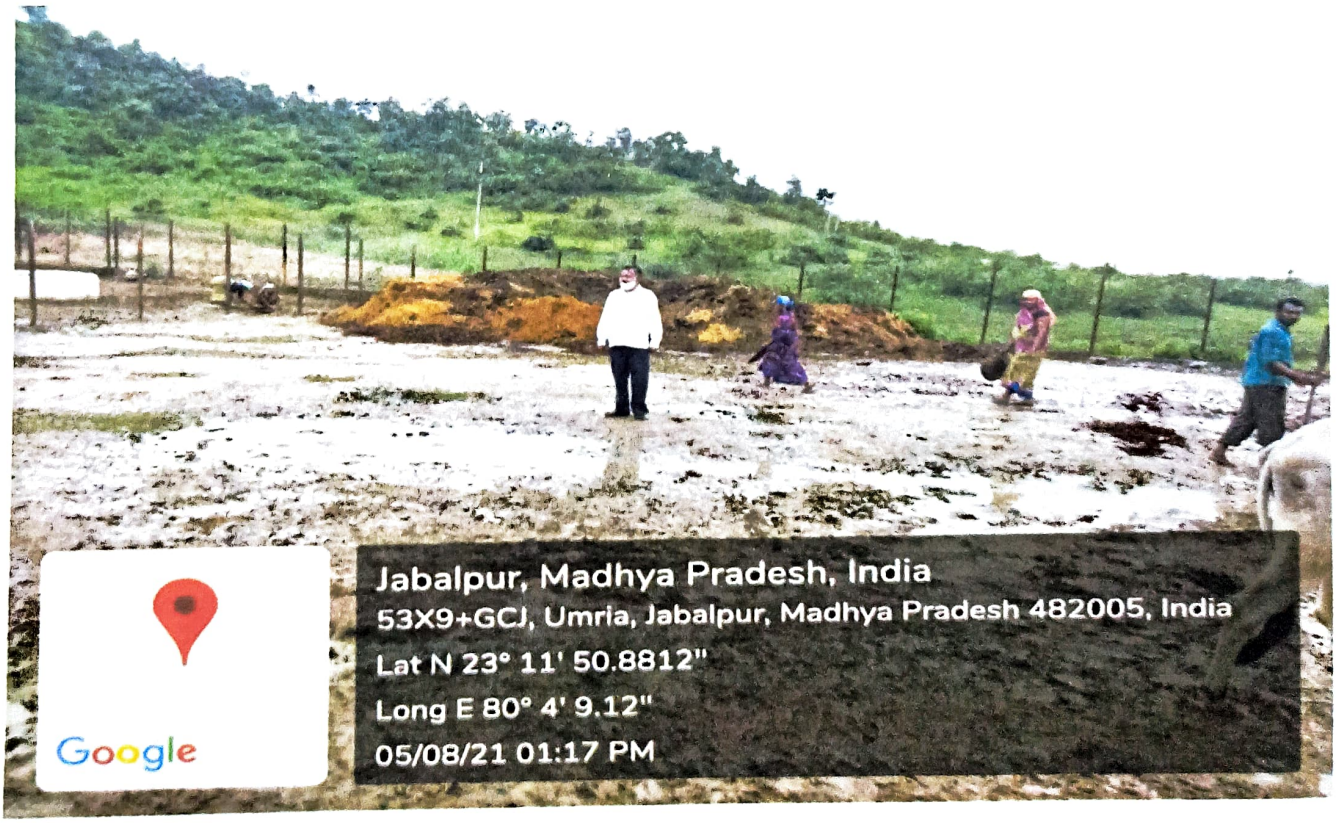

Ward No. 79 Jabalpur Nagar Nigam, Umariya Kanjhi House Insepection on date 05/08/2021

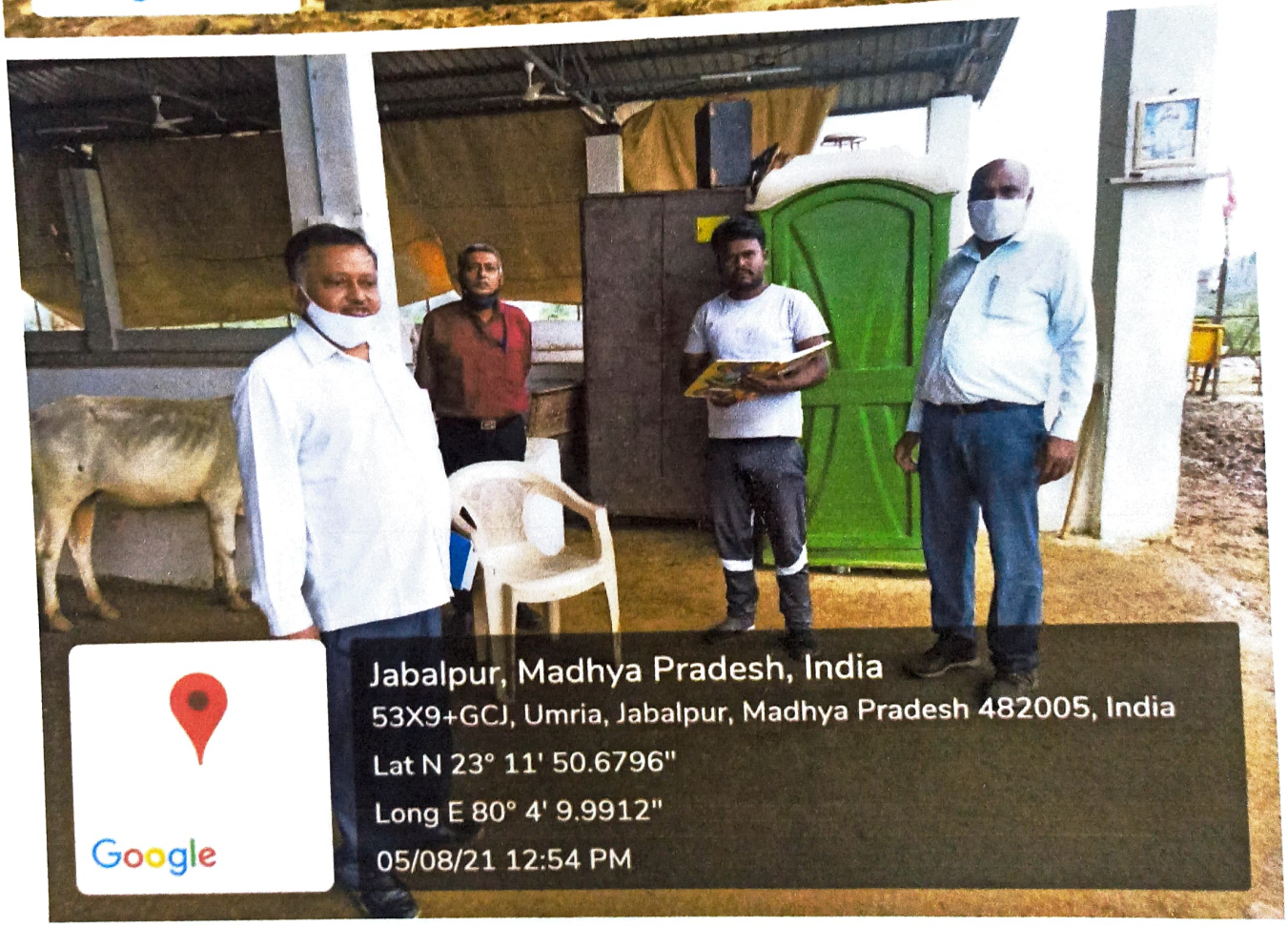

क्षेत्रीय कार्यालय
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
स्कीन न. 5, प्लाट न. 455/456, विजय नगर जबलपुर (म.प्र.) – 482002

Phone & Fax No. 0761-4042780, Email – romppcbjbp@rediffmail.com

कमांक/217/क्षेका/प्रनिबो/2021 जबलपुर, दिनांक 12/8/21

प्रति,

1. आयुक्त,
   नगर पालिक निगम
   जबलपुर

2. स्वास्थ्य अधिकारी
   नगर पालिक निगम
   जबलपुर

विषयः–कुण्डम मार्ग पर अमझर घाटी के पहले उमरिया ग्राम में संचालित कांजी हाउस को जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत स्थापना सम्मति प्राप्त करने बावत ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि कुण्डम मार्ग पर अमझर घाटी के पहले ग्राम उमरिया में गौशाला के स्थान पर कांजी हाउस संचालित है वर्तमान में दिनांक 05.08.2021 को निरीक्षण दौरान कांजी हाउस हेतु बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के तहत स्थापना सम्मति प्राप्त किये बिना संचालित किया जा रहा है। जो कि नियम के विरूद्व है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संशोधित डेयरी एवं गौशाला मार्गदर्शिका अनुसार निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें:–

1. यह कि, जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अनुसार स्थापना सम्मति प्राप्त किया जावे।
2. यह कि, कांजी हाउस से निकलने वाले गोबर का उपयोग खाद बनाने हेतु कम्पोस्ट पिट का निर्माण किया जावे, वर्तमान में गोबर यहॉ–वहॉ फैला हुआ पाया गया है।
3. यह कि, कांजी हाउस से निकलने वाले मूत्र/फ्लोर वाशिंग/दूषित जल को उपचार के पश्चात स्वंय की भूमि पर उपयोग किया । जिससे जल प्रदूषण की स्थिति निर्मित न हो।

अतः 07 दिवस की समयवधि में नियमानुसार जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के तहत स्थापना सम्मति प्राप्त करना सुनिश्चित करें। अन्यथा बोर्ड द्वारा वैधानिक कार्यवाही की जा सकती है।

(अलोक कुमार जैन)
क्षेत्रीय अधिकारी
म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
जबलपुर

chahi_gyi_jankri_79_001.jpg (2528×3507)

संभागीय अधिकारी संभाग क्र–10 राझी, नगर निगम, जबलपुर

पत्र क्र 26/स.अधि./स.क्र.10/2020–21 दिनांक 23/1/2021

प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी
म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
जबलपुर (म.प्र.)

आपके द्वारा चाही गई जानकारी बिन्दुवार निम्नानुसार है :–

1. प्रारंभिक स्तर पर लगभग 2000 आवारा घुमने वाले जनवारों को रखने की व्यवस्था की जाना अभी अनुमानित 250 जानवरों को रखने की व्यवस्था की गई है।
2. कांजी हाउस में दुग्ध उत्पादन नही किया जावेगा।
3. गौशाला को कांजी हाउस में परिवर्तित नहीं किया जा रहा है। अपितु कांजी हाउस में ही शहर की आवारा जानवरों (गायों) को को पकडकर रखा जावेगा।

(हस्ताक्षर) 23/1/2021

संभागीय अधिकारी,
संभाग क्रमांक(10)रांझी,
नगर निगम जबलपुर

D/Latter pad 2-326

कार्यालय नगर पालिक निगम, जबलपुर

क्रमांक–स्वा.वि./2021/272 जबलपुर, दिनांक 09/08/2021

प्रति,

क्षेत्रीय कार्यालय
म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
विजय नगर जबलपुर।

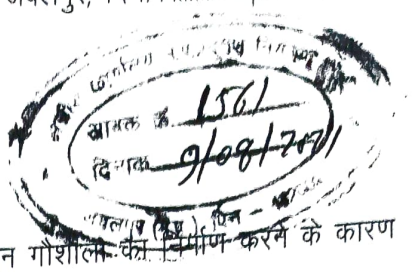

विषयः– कुंडम मार्ग पर अमझरघाटी के पहले उमरिया ग्राम में निर्माणाधीन गौशाला का निर्माण करने के कारण बताओ सूचना पत्र।

संदर्भः– आपका पत्र क्र.1395/क्षे.का./प्रनिबो./2020 जबलपुर दिनांक 03.10.20201 एवं 2322/क्षे.का./प्रनिबो /2021 जबलपुर दिनांक 13.01.21

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के संबंध में लेख है,कि कुंडम मार्ग पर अमझरघाटी के पहले ग्राम उमरिया में प.ह न.41 रा.नि.म.मानेगांव तहसील रांझी जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा न.198/3 रकबा 10.79 हेक्टर एवं खसरा न. 134 के रकवा 16.0 हेक्टर कुल 26.79 हेक्टर. में कांजी हाउस का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। नगर निगम क्षेत्र के अन्तर्गत आवारा पशुओ को शहर की सड़कों पर धूमने के कारण आये दिन दुर्घटना हो रही है तथा जानवरों द्वारा शहर में गंदगी फैलाई जा रही है जिससे जनता का जीवन भी अस्त–व्यस्त होता है। इनकी रोकथाम के लिये नगर निगम अधिनियम 1956 के प्रावधान अनुसार निगम क्षेत्रान्तर्गत कांजी हाउस बनाकर जानवरों को रखने का प्रावधान है।

नगर निगम जबलपुर द्वारा इस क्रम में शहर के आवारा जानवर रखने हेतु कांजी हाउस का निर्माण कराया जा रहा है। इस संबंध में यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि नगर निगम द्वारा किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि हेतु गोंशाला का निर्माण कार्य नहीं कराया जा रहा है। यह पूर्णतः आम जनता के जीवन को ध्यान में रखते हुये प्रावधानों के तहत किया जा रहा है। निर्माणाधीन स्थल के संबंध में जानकारी निम्नानुसार हैः–

1) उक्त काजी हाउस शहर की सीमा अन्तर्गत बनाई जा रही है। आवसीय आवासो से 200 मीटर दूर एवं अस्पातल तथा स्कूल के 500 मीटर की दूरी पर है तथा बाढ़ क्षेत्र में नही।
2) उक्त कांजी हाउस भू–जल प्रदूषण से मुक्त क्षेत्र में है।
3) उक्त कांजी हाउस राष्ट्रीय राजमार्ग से 1000 मीटर की दूरी पर है।
4) उक्त कांजी हाउस से लीकेज/स्पिजल के कारण बचाने के लिये कैचमेंट साइड से पेय जल टंकी 500 मीटर दूरी पर है।
5) उक्त कांजी हाउस के आस–पास कोई भी नदी या झील नही है।
6) उक्त कांजी हाउस से नहर 500 मीटर अधिक दूरी पर है।
7) उक्त कांजी हाउस में निर्माण कार्य दो प्रतिष्ठानों पर पर्याप्त वेंटीलेशन दिया जा रहा है।
8) गोबर का नि पादन कम्पोस्ट पिट बनाकर खाद तैयार कर नगर निगम के उद्यानों में उपयोग किया जावेगा एवं गायों के मूत्र को टेंक बनाकर उसमें एकत्र कर उसका उपचार किया जायेगा एवं उसका उपयोग निगम की भूमि में किया जायेगा ।

अतः निवेदन है,कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी जुलाई 2020 की गाइड लाइन लागू नहीं होती । कृपया कांजी हाउस निर्माण के संबंध में आवश्यक गाइड लाइन हो तो प्रदान करने का कष्ट करें।

09/8/21
स्वास्थ्य अधिकारी
नगर निगम,जबलपुर